क्रमांक .प.1(22)वि.मा/2021 दिनांकः– 26 अगस्त, 2021

परिपत्र

विषय– केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत निधियों की प्राप्ति, उपयोग एवं नियंत्रण हेतु योजना का **Single Nodal Account (SNA)** खोले जाने एवं उनका **PMFS** एवं **IFMS** से **Integration** के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

संदर्भ– वित्त मंत्रालय, (व्यय विभाग), भारत सरकार का पत्र दिनांक 23.03.2021, 30.06.2021 तथा **SOP** दिनांक 30.07.2021 एवं इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक **UO Note** 28.07.2021 के क्रम में।

केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत निधियों की प्राप्ति से सम्बंधित विभागों के भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा वित्त मंत्रालय, (व्यय विभाग), भारत सरकार के प्रेषित पत्र दिनांक 23.03.2021 के अनुसरण में Single Nodal Account (SNA) खोले जाने के सम्बन्ध में संबंधित विभाग निम्नलिखित कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करावें:–

सर्व प्रथम Single Nodal Account (SNA) तथा उनके जीरो बैलेन्स सब्सिडरी खाते खोले जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त (मार्गोपाय) विभाग को प्रेषित करावे। विभाग द्वारा प्रस्ताव में योजना का नाम, फण्डिग पैटर्न, वित्त वर्ष 2021–22 में प्राप्त होने वाली संभावित राशि, दिनांक 31.03.2021 को योजना में अवशेष राशि, वर्तमान में योजना किस मोड पर चलती है अर्थात ट्रेजरी/पीडी खाता/बैंक खाता के माध्यम से एवं ZBSA(जीरो बैलेंस सब्सिडरी खाते) कितनें कहां–कहां खोले जायेंगे, का विवरण अंकित करावें।

इस हेतु SNA बैंक खाता खोलने की वित्त विभाग को सहमति हेतु भेजे जाने प्रस्ताव विभाग के वरिष्ठतम लेखा अधिकारी की टिप्पणी के साथ भेजे जाऐंगे अन्यथा वित्त विभाग द्वारा पत्रावली लौटा दी जायेगी।

वित्त विभाग द्वारा निम्न लिखित शर्तों के अध्यधीन योजना Single Nodal Account (SNA)/बैंक खाता खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की जायेगी:–

- With those private/public sector scheduled commercial banks who are ready to share/provide the seamless disbursement/payment scroll with MIS reports along with balance in account on real time basis with state Government .

- This sanction will be on interim basis, till the time of rolling out of mother and child account facility in the PD Accounts by Government of Rajasthan identical to SNA with reverse integration of PFMS to IFMS.

- The other condition laid down by Government of India vide OM dated 23.03.2021 also needs to be followed by the respective banks.

- The provision of linkage between IFMS and SNA should be ensured and will be tested through taking transaction by FD. Releases in SNA would be made after confirming transaction by FD.

- The Model-4 outlined in SoP issued by Government of India dated 30.07.2021 allows seamless IFMS and PFMS Integration, so, those banks who seamlessly allows IFMS and PFMS Integration should be preferred.

➢ इसके पश्चात केन्द्रीय प्रवर्तित योजना का SNA बैंक खाता एवं इनके जीरो बैलेंस सब्सिडरी खाते खोले जाकर योजना एवं खातो की मैपिंग PFMS राज्य निदेशालय, जयपुर के सहयोग से PFMS पर पंजीकृत कराकर अपनी login id सृजित करायेंगे। SNA खाते एवं इसके जीरो बैलेंस सब्सिडरी खातो (IA Accounts) की सूचना अपने सम्बंधित मंत्रालय को प्रेषित करेंगे ताकि सम्बंधित मंत्रालय CSS योजनाओं की राशि को त्वरित रिलीज करे।

➢ योजना में SNA से IA's हेतु Limits जारी करना, भुगतान/transfer का दिन प्रतिदिन की Monitoring विभाग द्वारा की जाऐगी एवं IMFS व PFMS का Integration सुनिश्चित किया जावेगा। NIC एवं PMFS निदेशालय की जयपुर स्थित टीम से Technical पहलुओं के लिए सम्पर्क करना सुनिश्चित करे। विभाग के HOD एवं वरिष्ठतम लेखा अधिकारी द्वारा इसे सुनिश्चित किया जाए।

➢ Credit Limits जारी करना तथा भुगतान/transfer का दिन प्रतिदिन का Monitoring की प्रणाली लिखित रूप में रखी जावे, जो कि संबंधित विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा निरीक्षण की जाए।

➢ किसी भी परिस्थिति में एक CSS/CA के लिए एक से अधिक SNA नहीं होगा तथा योजना की राशि अन्य किसी बैंक खाते या IA's में खाते में हस्तान्तरित नहीं की जाऐगी।

- SNA का बैंक परिवर्तन की स्थिति में पूर्व SNA व IA's का Reconciliation कराते हुए राशि हस्तान्तरण नए SNA में कराऐंगे/ इसकी लिखित में सूचना वित्त विभाग व अन्य संबंधित को देगे।

- SNA बैंक से प्रतिदिन के आधार पर MIS व अन्य सूचनाएं ऑन लाइन IFMS/PFMS Dashboard पर प्राप्त की जाऐंगी।

- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी SOP में राज्य सरकार के IFMS से PMFS integration की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः प्रत्येक SNA खाता सम्बंधित विभाग द्वारा NIC के माध्यम से IFMS पर लिंक कराया जाना आवश्यक होगा।

- केन्द्र सरकार द्वारा जारी केन्द्रीयांश को SNA में हस्तान्तरण हेतु पत्रावली पर प्रस्ताव विभाग द्वारा वित्त (व्यय) विभाग को प्रेषित किए जायेंगे तथा सहमति उपरांत प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर वित्त (बजट) विभाग से वित्तीय स्वीकृति जारी कराकर राशि बैंक खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।

- PFMS पर कार्य करने का Hands on प्रशिक्षण राज्य PFMS निदेशालय, NIC व वित्त विभाग द्वारा आयोजित कराया जाऐगा, जिसमें सूचनाएं संग्रहण, मेपिंग व संचालन का प्रशिक्षण दिया जाऐगा। इस बाबत Helpline की सूचना भी शीघ्र उपलब्ध कराई जाऐगी।

- ऐसी केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, छात्रवृति इत्यादि, जहां राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में प्रत्येक लाभार्थी से संबंधित विवरण यथा बैंक खाता, IFS Code इत्यादि IFMS/अन्य Modules पर Mapped है तथा जहां सीधे लाभार्थी के बैंक खातो में राशि हस्तान्तरित हो रही है एवं IFMS से सूचना PFMS को प्रेषित हो रही है, इस कारण वहां SNA Bank खाता खोलने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में विभाग अपने संबंधित मंत्रालय भारत सरकार को उपरोक्त तथ्य से अवगत कराते हुऐ SNA खोलने में शिथिलन प्राप्त करें।

- ऐसी केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाऐं जहां पर पूर्व से SNAs खुले हुए है यथा PMAY, NAREGA, PMGSY इत्यादि, वहां पर पुनः SNA खोलने की आवश्यकता नहीं है।

(डॉ. पृथ्वी)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नांकित से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग,
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग,
5. विशिष्ठ शासन सचिव, वित्त (व्यय विभाग)
6. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (EAD) विभाग
8. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को साईट पर अपलोड करने हेतु।
9. उपशासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग
10. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, NIC, शासन सचिवालय सचिवालय,
11. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, IFMS वित्त भवन, जयपुर
12. वरिष्ठ लेखाधिकारी. PFMS राज्य निदेशालय, विद्याधर नगर जयपुर|
13. रक्षित पत्रावली|

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक, वित्त (बजट)